[6]

संख्या—वे०आ०-1-1775/दस-2008-42(एम)/08

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 8 दिसम्बर, 2008

विषय : राज्य कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1-6-2008, 1-7-2006, 1-1-2007, 1-7-2007, 1-1-2008 एवं 1-7-2008 से अनुमन्य मंहगाई भत्ते की संशोधित दरें।

पठित निम्नलिखित :

(1) शासनादेश संख्या-वे०आर०-1-606/दस-2008-42(एम)/97, दिनांक 27 मई, 2008

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1 (3)/2008-ई-II (बी), दिनांक 29-8-2008

(3) शासकीय संकल्प संख्या-वे०आ०-2-1313/दस-[illegible](एम)/08, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008

(4) शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1314/दस-59(एम)/08, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008

(5) शासनादेश संख्या वे०आ०-2-1315/दस-59(एम)/08, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त कम सं० (2) पर उल्लिखित कार्यालय-ज्ञापन द्वारा दिनांक 1-1-2006, दिनांक 1-7-2006, 1-1-2007, 1-7-2007, 1-1-2008 एवं 1-7-2008 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं :—

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
1-1-2006	शून्य
1-7-2006	वेतन का [illegible] प्रतिशत
1-1-2007	वेतन का 6 प्रतिशत
1-7-2007	वेतन का 9 प्रतिशत
1-1-2008	वेतन का 12 प्रतिशत
1-7-2008	वेतन का 16 प्रतिशत

2. उपर्युक्त क्रम संख्या–3 पर उल्लिखित शासकीय संकल्प, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय दिनांक 1-1-2006, दिनांक 1-7-2006, 1-1-2007, 1-7-2007, 1-1-2008 एवं 1-7-2008 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्नानुसार संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :—

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
1-1-2006	शून्य
1-7-2006	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
1-1-2007	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
1-7-2007	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
1-1-2008	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
1-7-2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

3. इस आदेश के अनुसार मंहगाई भत्ते का उपरोक्त दरों पर भुगतान पूर्व में शासनादेश संख्या वे०आ०-1-656/दस-2006-42(एम)/97, दिनांक 16 जून, 2006, शासनादेश संख्या वे०आ०-1-1415/दस-2006-42(एम)/97, दिनांक 16 नवम्बर, 2006, संख्या वे०आ०-1-702/दस-2007-42(एम)/97, दिनांक 5 जून, 2007, संख्या वे०आ०-1-1514/दस-2007-42(एम)/97, दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 एवं सं०-वे०आ०-1-606/दस-2008-42(एम)/97, दिनांक 27 मई, 2008 द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गई मंहगाई भत्ते की धनराशि को समायोजित करने के बाद किया जाएगा।

4. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को "वेतन" का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को मंहगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5. मंहगाई भत्ते को एक तरह का [illegible] घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम [illegible] के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक [illegible] या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त होने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त [illegible] हों, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और इससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित मंहगाई भत्ते की दरों के आधार पर दिनांक 1-12-2008 से (दिनांक 1 जनवरी, 2009 को देय) नगद भुगतान किया जायेगा। संशोधित दरों पर भुगतान के फलस्वरूप दिनांक 1-1-2006 से 30-11-2008 तक की अवधि हेतु अवशेष देय का भुगतान शासकीय संकल्प संख्या वे०आ०-2-1313/दस-54(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-1 (13) में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

— — — — —